



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20022021-225296
CG-DL-W-20022021-225296

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06] नई दिल्ली, फरवरी 7—फरवरी 13, 2021 शनिवार/ माघ 18—माघ 24, 1942
No. 06] NEW DELHI, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2021, SATURDAY/MAGHA 18—MAGHA 24, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का. आ. 106.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक श्री अश्विनी कुमार तिवारी (जन्म तिथि: 29.12.1967) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 27th January, 2021

S. O. 106.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Ashwini Kumar Tewari (date of birth: 29.12.1967), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director in State Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का. आ. 107.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक श्री स्वामीनाथन जानकीरमण (जन्म तिथि: 4.2.1964) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 2021

S. O. 107.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Swaminathan Janakiraman (date of birth: 4.2.1964), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director in State Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.